

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 968/2024

अनवान : -

1. चानन राम पुत्र जिराज जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी जनानियां तहसील नोहर ।  
- वादी

बनाम्

1. महेन्द्र सिंह पुत्र जीराज जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी जनानियां तहसील नोहर ।
2. राम कुमार पुत्र जिराज राम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रावतसर तहसील रावतसर ।
3. कोयल पुत्री जीराज जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी जनानियां तहसील नोहर ।
4. मीरा पुत्री जीराज जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी जनानियां तहसील नोहर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त०  
अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी  
परोकार राज

निर्णय

दिनांक: 04/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 4 बरानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 36/36 के कुल खसरे 19 की कुल तादादी 4.0480 है० भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2077 के खाता संख्या 119/119 के कुल खसरे 19 की कुल तादादी 2.8830 है० भूमि व खाता संख्या 118/118 के कुल खसरे 1 की 0.0633 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं 6 जेएसएन के खाता संख्या 79/79 के कुल खसरे 6 की 1.5180 है० भूमि वादी की मृतक माता भागी देवी पत्नी जिराज के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है ।

उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भागी देवी पत्नी जिराज के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है । भागी देवी पत्नी जिराज का स्वर्गवास हो चुका है भागी देवी पत्नी जिराज के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है । प्रतिवादीया संख्या 3 ता 4 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है । उपरोक्त भूमि बाबत वादी व प्रतिवादीगण ने समझोता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा रोही मौजा 4 बरानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 36/36 के कुल खसरे 19 की कुल तादादी 4.0480 है० भूमि के प० नं० 373/387 (49) के किला नं. 22 ता 24 की 0.759 है०, 21/22 की 0.025 है० गै० मु० रास्ता 25/2 की 0.228 है० कुल 1.012 है० भूमि पर वादी काबिज है व प० नं०

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

374/387 (50) के किला नं. 17, 18 की 0.506 है, 21 ता 24 की 1.012 है कुल 1.518 है भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है एवं 373/387 (49) के किला नं. 14 की 0.253 है, 15/1 की 0.025 है गै 0 मु 0 रास्ता, 15/2 की 0.228 है, 16/1 की 0.025 है गै 0 मु 0 रास्ता, 16/2 की 0.228 है, 17 ता 19 की 0.759 है कुल 1.518 है भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-2077 के खाता संख्या 119/119 के कुल खसरे 19 की कुल तादादी 2.8830 है भूमि में से प 0 नं 0 364/382 (91) के किला नं. 16/1 की 0.101 है, 17/1 की 0.880 है, 24/1 की 0.021 है, 25/1 की 0.075 है प 0 नं 0 365/382 (90) के किला नं. 17/1 की 0.051 है, 18/1 की 0.101 है, 19/1 की 0.101 है, 20/1 की 0.101 है, 21/1 की 0.075 है, 22/1 की 0.075 है, 23/1 की 0.075 है, 24/2 की 0.071 है कुल 0.9350 है भूमि पर वादी काबिज है एवं प 0 नं 0 364/383 (92) के किला नं. 5 की 0.190 है, 6/1 की 0.063 है 6 की 0.0633 है प 0 नं 0 365/383 (93) के किला नं. 1/1 की 0.025 है, गै 0 मु 0 रास्ता, 1/2 की 0.228 है, 3/1 की 0.025 है गै 0 मु 0 रास्ता, 3/2 की 0.228 है, 8 की 0.253 है कुल 1.0753 है भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है एवं प 0 नं 0 364/382 (91) के किला नं. 24/2 की 0.055 है, 25/2 की 0.178 है प 0 नं 0 365/382 (90) किला नं. 21/2 की 0.178 है, 22/2 की 0.166 है, 23/2 की 0.178 है, 24/3 की 0.169 है कुल 0.924 है भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है एवं प 0 नं 0 365/382 (90) किला नं. 22/3 की 0.012 है गै 0 मु 0 रास्ता वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का दर्ज होना है तथा रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 79/79 के प 0 नं 0 368/377 (11) के किला नं. 9 की 0.253 है, 12 की 0.240 है पर वादी काबिज है एवं प 0 नं 0 368/377 (11) के किला नं. 18 की 0.240 है. व 18 के मिन दक्षिण की 0.013 है गै 0 मु 0 रास्ता, 23 की 0.253 है भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है एवं प 0 नं 0 368/377 (11) के किला नं. 12 के मिन दक्षिण की 0.013 है, 19 की 0.240 है, 19 के मिन पश्चिम की 0.013 है गै 0 मु 0 रास्ता, 22 की 0.240 है, 22 के मिन पश्चिम की 0.013 है भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं 0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 5 परोकार


राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण भागी, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भागी देवी पत्नी जिराज के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। भागी देवी पत्नी जिराज का स्वर्गवास हो चुका है भागी देवी पत्नी जिराज के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 3 ता 4 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। उपरोक्त भूमि बाबत वादी व प्रतिवादीगण ने समझौता किया हुआ है एवं मुताबिक समझौता ही काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 4 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 36/36 के कुल खसरे 19 की कुल तादादी 4.0480 है० भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075-2077 के खाता संख्या 119/119 के कुल खसरे 19 की कुल तादादी 2.8830 है० भूमि व खाता संख्या 118/118 के कुल खसरे 1 की 0.0633 है० भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं 6 जेएसएन के खाता संख्या 79/79 के कुल खसरे 6 की 1.5180 है० भूमि वादी की मृतक माता भागी देवी पत्नी जिराज के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भागी देवी पत्नी जिराज के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। भागी देवी पत्नी जिराज का स्वर्गवास हो चुका है भागी देवी पत्नी जिराज के जायज वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 है जो की अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 3 ता 4 जो कि वादी की बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। उपरोक्त भूमि बाबत

  
अपखण्ड अधिकारी  
नोहर

वादी व प्रतिवादीगण ने समझौता किया हुआ है एवं मुताबिक समझौता ही काबिज है। वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया गया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को कोई ऐतराज नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र बाबत वारिसान एवं सजरा खानदान के अलावा मृतक भागी देवी के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा 4 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 36/36 के कुल खसरे 19 की कुल तादादी 4.0480 है0 भूमि के प0 नं0 373/387 (49) के किला नं. 22 ता 24 की 0.759 है0, 25/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता 25/2 की 0.228 है0 कुल 1.012 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प0 नं0 374/387 (50) के किला नं. 17, 18 की 0.506 है0, 21 ता 24 की 1.012 है0 कुल 1.518 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 373/387 (49) के किला नं. 14 की 0.253 है0, 15/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 15/2 की 0.228 है0, 16/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 16/2 की 0.228 है0, 17 ता 19 की 0.759 है0 कुल 1.518 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2077 के खाता संख्या 119/119 के कुल खसरे 19 की कुल तादादी 2.8830 है0 भूमि में से प0 नं0 364/382 (91) के किला नं. 16/1 की 0.101 है0, 17/1 की 0.880 है0, 24/1 की 0.021 है0, 25/1 की 0.075 है0 प0 नं0 365/382 (90) के किला नं. 17/1 की 0.051 है0, 18/1 की 0.101 है0, 19/1 की 0.101 है0, 20/1 की 0.101 है0, 21/1 की 0.075 है0, 22/1 की 0.075 है0, 23/1 की 0.075 है0, 24/2 की 0.071 है0 कुल 0.9350 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प0 नं0 364/383 (92) के किला नं. 5 की 0.190 है0, 6/1 की 0.063 है0, 6 की 0.0633 है0 प0 नं0 365/383 (93) के किला नं. 1/1 की 0.025 है0, गै0 मु0 रास्ता, 1/2 की 0.228 है0, 3/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 3/2 की 0.228 है0, 8 की 0.253 है0 कुल 1.0753 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प0 नं0 364/382 (91) के किला नं. 24/2 की 0.055 है0, 25/2 की 0.178 है0 प0 नं0 365/382 (90) किला नं. 21/2 की 0.178 है0, 22/2 की 0.166 है0, 23/2 की 0.178 है0, 24/3 की 0.169 है0 कुल 0.924 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प0 नं0 365/382 (90) किला नं. 22/3 की 0.012 है0 गै0 मु0 रास्ता वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे तथा रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 79/79 के कुल खसरे 6 की कुल 1.5180 है0 भूमि में मृतका भागी पत्नी जिराम का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 368/377 (11) के किला नं. 9 की 0.253 है0, 12 के मिन उत्तर

की 0.240 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प0 नं0 368/377 (11) के किला नं. 18 की 0.253 है0, 23 की 0.253 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प0 नं0 368/377 (11) के किला नं. 12 के मिन दक्षिण की 0.013 है0, 19 की 0.240 है0, 19 के मिन पश्चिम की 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता, 22 की 0.240 है0, 22 के मिन पश्चिम की 0.013 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीय नक्शा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 06/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 968/2024

अनवान : -

1. चानन राम पुत्र जिराज जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी जनानियां तहसील नोहर ।  
- वादी

बनाम्

1. महेन्द्र सिंह पुत्र जीराज जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी जनानियां तहसील नोहर ।
2. राम कुमार पुत्र जिराज राम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रावतसर तहसील रावतसर ।
3. कोयल पुत्री जीराज जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी जनानियां तहसील नोहर ।
4. मीरा पुत्री जीराज जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी जनानियां तहसील नोहर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर ।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 968 सन 2024 निर्णय दिनांक 06/10/2024


आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा 4 बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 36/36 के कुल खसरे 19 की कुल तादादी 4.0480 है० भूमि के प० नं० 373/387 (49) के किला नं. 22 ता 24 की 0.759 है०, 25/1 की 0.025 है० गै० मु० रास्ता 25/2 की 0.228 है० कुल 1.012 है० भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प० नं० 374/387 (50) के किला नं. 17, 18 की 0.506 है०, 21 ता 24 की 1.012 है० कुल 1.518 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं 373/387 (49) के किला नं. 14 की 0.253 है०, 15/1 की 0.025 है० गै० मु० रास्ता, 15/2 की 0.228 है०, 16/1 की 0.025 है० गै० मु० रास्ता, 16/2 की 0.228 है०, 17 ता 19 की 0.759 है० कुल 1.518 है० भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2077 के खाता संख्या 119/119 के कुल खसरे 19 की कुल तादादी 2.8830 है० भूमि में से प० नं० 364/382 (91) के किला नं. 16/1 की 0.101 है०, 17/1 की 0.880 है०, 24/1 की 0.021 है०, 25/1 की 0.075 है० प० नं० 365/382 (90) के किला नं. 17/1 की 0.051 है०, 18/1 की 0.101 है०, 19/1 की 0.101 है०, 20/1 की 0.101 है०, 21/1 की 0.075 है०, 22/1 की 0.075 है०, 23/1 की 0.075 है०, 24/2 की 0.071 है० कुल 0.9350 है० भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प० नं० 364/383 (92) के किला नं. 5 की 0.190 है०, 6/1 की 0.063 है०, 6 की 0.0633 है० प० नं० 365/383 (93) के किला नं. 1/1 की 0.025 है०, गै० मु० रास्ता, 1/2 की 0.228 है०, 3/1 की 0.025 है० गै० मु० रास्ता, 3/2 की 0.228 है०, 8 की 0.253 है० कुल 1.0753

01

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प0 नं0 364/382 (91) के किला नं. 24/2 की 0.055 है0, 25/2 की 0.178 है0 प0 नं0 365/382 (90) किला नं. 21/2 की 0.178 है0, 22/2 की 0.166 है0, 23/2 की 0.178 है0, 24/3 की 0.169 है0 कुल 0.924 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प0 नं0 365/382 (90) किला नं. 22/3 की 0.012 है0 गै0 मु0 रास्ता वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज की जावे तथा रोही मौजा 6 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 79/79 के कुल खसरे 6 की कुल 1.5180 है0 भूमि में मृतका भागी पत्नी जिराम का नाम कलमजन किया जाकर प0 नं0 368/377 (11) के किला नं. 9 की 0.253 है0, 12 के मिन उत्तर की 0.240 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प0 नं0 368/377 (11) के किला नं. 18 की 0.253 है0, 23 की 0.253 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प0 नं0 368/377 (11) के किला नं. 12 के मिन दक्षिण की 0.013 है0, 19 की 0.240 है0, 19 के मिन पश्चिम की 0.013 है0 गै0 मु0 रास्ता, 22 की 0.240 है0, 22 के मिन पश्चिम की 0.013 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीय नक्शा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(पंकज गढ़वाल R.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर